



Neutral Citation Number- 2026:AHC:57992

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या-8512/2026

संदीप उर्फ संजू

.....आवेदक/आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी/विपक्षीगण

आवेदक/आवेदकगण के अधिवक्ता : राकेश कुमार वर्मा

विपक्षी/विपक्षीगण के अधिवक्ता : जी.ए., सूबेदार मिश्रा, ठाकुर प्रसाद दुबे

न्याय कक्ष संख्या-67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1., श्री राकेश कुमार वर्मा की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, श्री शिवाजी श्रीवास्तव, श्री टी.पी. दुबे और श्री सूबेदार मिश्रा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री कुंवर तेजेंद्र बहादुर (राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

2. यह तत्काल जमानत आवेदन, वाद अपराध संख्या -309/2025 में आवेदक की जमानत पर रिहाई के लिए दायर की गई है। यह मामला पुलिस थाना-मगोरा, जिला-मथुरा में, धारा 80(2), 85,

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



115(2) बी.एन.एस. और धारा 3/4 डी.पी.अधिनियम के तहत विचारण के लंबित रहने के दौरान दर्ज है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि, हालांकि, आवेदक मृतक का पति है, लेकिन झूठे आरोप के आधार पर उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि, असल में मृतक का किसी और व्यक्ति के साथ प्रेम-संबंध था, इसलिए, वह आवेदक से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी शादी उसकी इच्छा के खिलाफ हुई, इसलिए, शादी के छह महीने के अंदर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

4. उन्होंने आगे यह भी कहा कि मृतक की बड़ी बहन की शादी भी आवेदक के बड़े भाई के साथ हुई थी, और हैरानी की बात यह है कि इस मामले में उसे भी आरोपी बना दिया गया है; ऐसा केवल इसलिए किया गया, क्योंकि वह भी मृतक के विरुद्ध थी दरअसल, उपर्युक्त कारणों से मृतक अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार नहीं थी और मृतक की मृत्यु के बाद, उसने भी सूचनाप्रदाता यानी अपने पिता को असलियत बताने की कोशिश की थी।

5. उन्होंने आगे यह भी कहा कि, बी.एन.एस. की धारा-180 के तहत दर्ज बयान में भी, मृतक की बड़ी बहन ने यह बात बताई थी कि मृतक किसी अन्य व्यक्ति से शादी करना चाहता था; हालांकि, उसका बयान सह-आरोपियों में से एक के तौर पर दर्ज किया गया था। उन्होंने आगे यह भी कहा कि, शव-विच्छेदन रिपोर्ट से भी यही पता चलता है कि मृतक की मृत्यु फांसी लगाने के कारण हुई थी।

6. उन्होंने आगे निवेदन किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और वर्तमान मामले में वह दिनांक 30.11.2025 से जेल में है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. और साथ ही सूचनाप्रदाता के विद्वान अधिवक्ता ने ज़मानत की अर्ज़ी का ज़ोरदार विरोध किया और यह दलील दी कि आवेदक मृतक का पति है और उसकी पत्नी की शादी के छह महीने के भीतर ही, अपने ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी; साथ ही, चार-पहिया वाहन और सोने की माँग को लेकर प्रताड़ना का आरोप भी है, लेकिन वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि मृतक की मृत्यु फाँसी लगाने के कारण हुई थी।

8. वे इस बात से भी इनकार नहीं कर सके कि मृतक की बड़ी बहन की शादी भी आवेदक के बड़े भाई से हुई थी, और इस मामले में उसे भी आरोपी बनाया गया था। हालाँकि जाँच अधिकारी ने उसका बयान सह-आरोपी के तौर पर दर्ज किया था, लेकिन अपने बयान में उसने यह बात भी बताई कि मृतक किसी और व्यक्ति से शादी करना चाहता था। वे इस बात से भी इनकार नहीं कर सके कि मामले की जाँच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है; साथ ही, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और इस मामले में वह दिनांक 30.11.2025 से जेल में है।

9. मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है।

10. हालाँकि, आवेदक मृतक का पति है और उसकी पत्नी की मृत्यु शादी के छह महीने के भीतर ही, उसके ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में हुई थी; साथ ही, चार-पहिया वाहन और सोने की माँग को लेकर प्रताड़ना के आरोप भी लगाए गए हैं। परंतु, शव-विच्छेदन रिपोर्ट से यह पता चलता है कि मृतक की मृत्यु फाँसी लगाने के कारण हुई थी; इसलिए, इस चरण पर मृतक द्वारा आत्महत्या किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



11. इसके अलावा, अभिलेख से यह भी पता चलता है कि मृतक की बड़ी बहन की शादी आवेदक के बड़े भाई से हुई थी; लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। हालाँकि, जाँच अधिकारी ने उसका बयान सह-आरोपी के तौर पर दर्ज किया था, लेकिन अपने बयान में उसने यह भी कहा कि मृतक यानी उसकी छोटी बहन किसी और व्यक्ति से शादी करना चाहती थी। इसलिए, मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, आवेदक द्वारा इस ज़मानत अर्ज़ी में आत्महत्या का जो कारण बताया गया है, उसे इस चरण पर नकारा नहीं जा सकता। इस न्यायालय की राय में, यदि दहेज मृत्यु के मामले में मृतक का पति कोई संभावित बचाव लेकर सामने आता है, तो उसकी ज़मानत अर्ज़ी को रोका नहीं जाना चाहिए।

12. इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और वर्तमान मामले में वह दिनांक 30.11.2025 से जेल में है।

13. इसके अलावा, यह कानून में तय है कि जब तक कोई आरोपी दोषी साबित न हो जाए, उसे निर्दोष माना जाता है; और उसकी ज़मानत अर्ज़ी को न तो सज़ा देने के मकसद से और न ही किसी एहतियाती मकसद से खारिज किया जाना चाहिए।

14. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरी राय में, आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है।

15. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह ज़मानत अर्ज़ी **स्वीकार** की जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



16. आवेदक **संदीप उर्फ संजू** को, उपर्युक्त मामले में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ ज़मानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक निर्धारित तारीखों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट न दी गई हो।
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

17. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की ज़मानत रद्द करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल उन तथ्यों तक सीमित हैं जो पक्षों द्वारा ज़मानत अर्ज़ी के निपटारे के संबंध में प्रस्तुत किए गए हैं, और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

20 मार्च, 2026

एके पांडे

(माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन)

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"